15/7 पत्रावली पेश हुई /पत्रावली बनी /पत्रावली प्रतिवेदन प्रतीक्षित प्रतिवादी पक्ष / अन्य पक्ष ने नहीं। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 7.2.18 को पेश हो। [illegible]

7/2/18 पत्रावली पेश हुई। आज अभिभावकगण ने कार्य स्थगित कर रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 1.5.18 को पेश हो। [illegible]

1/5/18 पत्रावली पेश हुई /पत्रावली बनी /पत्रावली प्रतिवेदन प्रतीक्षित प्रतिवादी पक्ष / अन्य पक्ष ने नहीं। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 31.7.18 को पेश हो। [illegible]

25/6/2018 पत्रावली आज समक्ष लोक अदालत न्यायालय आपके द्वारा कैम्प कोर्ट राधाकिशनपुरा में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष पेश की गई पत्र का अवलोकन किया गया। पक्षकारों को न्यायालय द्वारा दिनांक 14.11.2017 को प्रस्तुत आवेदन अंतरिम रूप से पत्नी का भरण-पोषण की मासिक साधारण एवं रजिस्टर्ड डाक से निर्धारण व आगामी पेशी पर उपस्थित या सहित उक्त करने पक्षकारों द्वारा अधिवक्ता तक ना से सकित करवाने की कोई रकम या समुचित प्रस्तुत नहीं किया है और कि न्यायालय के आदेश कि वादिनी नहीं करने की श्रेणी में आगामी अग्रिम प्रक्रिया पक्षकारों वादिनी के अभाव में खारिज किया जाता है। पत्र फैसला सुनाया घोषित गया कि वाद को अनिवार्य प्रचार को निर्णय आज कैम्प कोर्ट राधाकिशनपुरा में सबके आज से सुनाया गया।

(जूही भार्गव)
प्रभारी अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी
सीकर